# अनुच्छेद 370 हटाने पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

## प्रिलिम्स के लिये:

अनुच्छेद 370, सर्वोच्च न्यायालय, विशिष दर्जा, केंद्रशासित प्रदेश, असममित संघवाद, भारत की संविधान सभा, परिग्रहण पत्र, अनुच्छेद 371, 371A- I, अनुच्छेद 367, विधानसभा।

## मेन्स के लिये:

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रासंगिकता।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने **संविधान के** अनुच्छेद 370 **में संशोधन** करने के केंद्र सरकार के **वर्ष 2019 के कदम** पर अपना निर्णय सुनाया। इस निरसन ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को प्रदत्त विशिष दर्जा समाप्त कर दिया था।**न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को रद्द करने वाले संवैधानिक आदेश को वैध माना।**

## सर्वोच्च न्यायालय का हालिया फैसला क्या है?

- **जम्मू-कश्मीर के पास संप्रभुता नहीं थी:**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर के संविधान में इस बात को दर्शाने के लिये बहुत सारे सबूत हैं कि कश्मीर के संबंध में अपनी संप्रभुता को छोड़ने के लिये विलय समझौता आवश्यक नहीं था।
  - **अनुच्छेद 370(1)** भारत के संविधान के **अनुच्छेद 1** (जहाँ जम्मू-कश्मीर को भाग III राज्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया था) को बिना किसी संशोधन के लागू करता है।
    - जम्मू-कश्मीर संविधान की **धारा 3** में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि **"जम्मू-कश्मीर राज्य भारत संघ का अभिन्न अंग है और रहेगा।"**
    - **भारतीय संविधान की धारा 147 ने धारा 3 में किसी भी संशोधन पर रोक लगा दी**, जिससे प्रावधान पूर्ण हो गया।
      - इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि भारत का संविधान **"देश का सर्वोच्च प्रशासकीय दस्तावेज़ है।"** इसके अलावा जम्मू-कश्मीर संविधान की प्रस्तावना में **"संप्रभुता के संदर्भ का स्पष्ट अभाव"** दिखता है।
- **अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है:**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर भरोसा किया कि संविधान निर्माताओं ने**अनुच्छेद 370 को भाग XXI में निहित अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों के साथ रखा** था।
  - फिर इसने बताया कि **विलय पत्र (IoA)** ने इसे **"बहुत हद तक स्पष्ट"** कर दिया है कि **अनुच्छेद 1,** जिसमें कहा गया है कि **"इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा", पूरी तरह से जम्मू-कश्मीर पर लागू होता है।**
- **राष्ट्रपति शासन के तहत उद्घोषणा की संवैधानिक वैधता:**
  - सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने सहमति व्यक्त की कि राष्ट्रपति के पास**"राज्य विधानसभा के विघटन करने सहित अपरिवर्तनीय परिवर्तन"** करने की शक्ति है एवं राष्ट्रपति की शक्तियों को **"न्यायिक और संवैधानिक जाँच"** द्वारा नियंत्रित रखा जाता है।
- **जम्मू-कश्मीर का संविधान निष्क्रिय है:**
  - न्यायालय ने माना कि अब जम्मू-कश्मीर के संविधान का अस्तित्व में रहना आवश्यक नहीं है, इसके माध्यम से भारतीय संविधान के केवल कुछ प्रावधान ही जम्मू-कश्मीर पर लागू होते हैं।
    - भारत के संविधान को संपूर्ण रूप से जम्मू-कश्मीर राज्य में लागू करने का अंतर्निहित लेकिन आवश्यक परिणाम यह है कि राज्य का संविधान निष्क्रिय है।
- **मानवाधिकारों के प्रावधान के लिये एक सत्य और सुलह आयोग का गठन:**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने सिफारिश की कि संघ राज्य और गैर-राज्य दोनों अभिकर्त्ताओं द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच के लिये

एक **"सत्य और सुलह आयोग"** स्थापति कयिा जाए, ठीक वैसे ही जैसे दक्षणि अफ्रीका ने रंगभेद के बाद राज्य और गैर-राज्य दोनों पक्षों द्वारा मानवाधकिारों के उल्लंघन की जाँच की। **इस आयोग का प्रयोग समयबद्ध होना चाहयि।**

## जम्मू-कश्मीर का वशिष दर्जा क्या था?

- **परचिय:**
  - **5 अगस्त, 2019** को **भारत के राष्ट्रपत**ि ने संविधान के अनुच्छेद 370(1) द्वारा प्रदत्त शक्तयिों का प्रयोग करते हुए **संवधािन (जम्मू-कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019 जारी** कयिा।
    - इसके जरयि भारत सरकार ने **अनुच्छेद 370 में ही संशोधन कयिा है (उसे रद्द नहीं कयिा है)।**
  - इसके द्वारा भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर राज्य तथा भारतीय संघ के बीच संबंधों में नाटकीय रूप से बदल दयिा है।
- **पृष्ठभूम:ि**
  - जम्मू-कश्मीर को छूट प्रदान करते हुए **17 अक्तूबर, 1949** को एक **'अस्थायी प्रावधान'** के रूप में **अनुच्छेद 370** को भारतीय संविधान में शामलि कयिा गया, इससे जम्मू-कश्मीर को अपना संविधान बनाने की अनुमत प्राप्त हुई और राज्य में भारतीय संसद की वधिायी शक्तयिों के प्रयोग पर प्रतबिंधति लगा दयिा गया।
    - इसे एन गोपालस्वामी अय्यंगार ने संविधान के मसौदे में अनुच्छेद 306A के रूप में पेश कयिा था।
- **अनुच्छेद 370:**
  - भारतीय संविधान के कौन-से अनुच्छेद राज्य पर लागू होने चाहयि इसकी सफिारशि करने का अधकिार **जम्मू-कश्मीर की संवधािन सभा** को प्रदान कयिा गया।
    - राज्य के संविधान का मसौदा तैयार करने के पश्चात् जम्मू-कश्मीर संविधान सभा को भंग कर दयिा गया था। **अनुच्छेद 370 का खंड 3 भारत के राष्ट्रपत को इसके प्रावधानों और दायरे में संशोधन करने की शक्त प्रदान करता** है।
  - **अनुच्छेद 35A** का स्रोत **अनुच्छेद 370** है और इसे जम्मू-कश्मीर संविधान सभा की सफिारशि पर वर्ष 1954 में राष्ट्रपत के आदेश से पेश कयिा गया था।
    - अनुच्छेद 35A जम्मू-कश्मीर वधिानसभा को **राज्य के स्थायी नविासयिों और उनके वशिष अधकिारों तथा वशिष लाभों को परभिाषति करने का अधकिार** देता है।
    - यह भारत के संविधान के परशिष्टि I में परलिक्षति होता है।
  - कई राज्यों को अलग-अलग संवैधानकि गारंटी प्रदान की गई है। इन्हें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पूर्वोत्तर के राज्यों के लयि **अनुच्छेद 371, 371A- I** में संहतिाबद्ध कयिा गया है।

**नोट:**

भारतीय संविधान शेष भारत के लयि संवैधानकि संशोधन के माध्यम से **राज्य की शक्त को बढ़ाने अथवा उस पर अंकुश लगाने के लयि अनुच्छेद 367 में एक वसि्तृत प्रक्रयिा नर्धिारति** करता है। हालाँकि जम्मू-कश्मीर के लयि संविधान में यह प्रावधान कयिा गया है कि अनुच्छेद 370 के तहत केवल कार्यकारी कार्रवाई ही पर्याप्त होगी।

//

## वर्ष 2019 के आदेश द्वारा कयि गए प्रमुख परविर्तन क्या हैं?

- **संवधिान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019:**
  - **वर्ष 1954 के राष्ट्रपति आदेश** को **संवधिान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019** द्वारा प्रतस्थिापति कर दयिा गया है।
    - इसके बाद संसद द्वारा पारति जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन वधियक (2019) जम्मू तथा कश्मीर राज्य को दो नए केंद्रशासति प्रदेशों (UT): **जम्मू-कश्मीर** तथा **लद्दाख** में वभिाजति करता है।
  - **ऐसा पहली बार है कि किसी राज्य को केंद्रशासति प्रदेश में बदल दयिा गया है।**
    - वर्तमान में जम्मू-कश्मीर राज्य की छह लोकसभा सीटों में से पाँच केंद्रशासति प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पास रहेंगी, जबकि एक का आवंटन लद्दाख को कयिा जाएगा।
  - दलि्ली और पुद्दुचेरी की तरह ही **केंद्रशासति प्रदेश जम्मू-कश्मीर में एक वधिानसभा** होगी।
    - लद्दाख बनिा वधिानसभा वाला केंद्रशासति प्रदेश होगा।
    - कश्मीर में अब राज्यपाल नहीं, बल्कि दलि्ली अथवा पुद्दुचेरी की तरह एक उपराज्यपाल होगा।
- **जम्मू-कश्मीर केंद्रशासति प्रदेश का दर्जा:**
  - जम्मू-कश्मीर वधिानसभा का कार्यकाल छह वर्ष का नहीं, बल्कि पहले की ही तरह पाँच वर्ष का होगा।
  - जम्मू-कश्मीर 2019 वधियक की धारा 32 में प्रस्तावति है कि **वधिानसभा "सार्वजनकि व्यवस्था" और "पुलसि" से संबंधति राज्य के वषियों को छोड़कर राज्य तथा समवर्ती सूची के कसिी भी वषिय पर कानून बना सकती है।**
    - यह संवधिान के अनुच्छेद 239A के समान है जो केंद्रशासति प्रदेश पुद्दुचेरी तथा दलि्ली पर लागू होता है।
  - हालाँकि अनुच्छेद 239AA के सम्मलिन तथा 69वें संवैधानकि संशोधन के आधार पर दलि्ली वधिानसभा राज्य सूची की प्रवष्टि 18 के मामलों, अर्थात् भूमि पर कानून नहीं बना सकती है।
    - जम्मू-कश्मीर के मामले में वधिानसभा भूमि पर कानून बना सकती है।
- **जम्मू-कश्मीर की वशिेष स्थति समाप्त:**
  - जम्मू-कश्मीर का अब **कोई अलग संवधिान, झंडा अथवा राष्ट्रगान नहीं होगा।**
  - जम्मू-कश्मीर के नागरकिों के पास दोहरी नागरकिता नहीं होगी।
  - चूँकि जम्मू-कश्मीर का नया केंद्रशासति प्रदेश भारतीय संवधिान के अधीन होगा, इसलयि इसके नागरकिों को अब भारतीय संवधिान में नहिति मौलकि अधकिार प्राप्त होंगे।
  - **अनुच्छेद 360**, जसिका उपयोग वत्तिीय आपातकाल घोषति करने के लयि कयिा जा सकता है, **अब भी लागू होगा।**
  - संसद द्वारा पारति सभी कानून जम्मू-कश्मीर में लागू होंगे, जनिमें सूचना का अधकिार अधनियिम तथा शकि्षा का अधकिार अधनियिम भी शामलि हैं।
  - भारतीय दंड संहति, **जम्मू-कश्मीर की रणबीर दंड संहति** की जगह लेगी।
  - **अनुच्छेद 35A, जो अनुच्छेद 370 के प्रावधानों से उत्पन्न हुआ है, अमान्य है।**

**नोट:**

जम्मू-कश्मीर का संघ के साथ ऐतहिासकि रूप से एक अनोखा रश्िता रहा है। जम्मू-कश्मीर तथा संघ के बीच कोई वलिय समझौता नहीं हुआ था, **बल्कि यह केवल** वलिय पत्र (इंसट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन- IoA) था, इसलयि संप्रभुता का कोई हस्तांतरण नहीं है एवं राज्य की स्वायत्तता का प्रावधान था। **IoA** बाह्य संप्रभुता से संबंधति है। कुछ अपवादों के अतरिक्ति बाह्य संप्रभुता समाप्त हो गई है। CJI **ने हालयि नरि्णय में कहा कि IoA पर हस्ताक्षर के बाद जम्मू-कश्मीर की कोई आंतरकि संप्रभुता नहीं है।**

## अनुच्छेद 370 के नरिाकरण में वभिन्नि वधिकि चुनौतयिाँ क्या थीं?

- **सांवधिानकि चुनौतयिाँ:**
  - राष्ट्रपति के आदेश में जम्मू-कश्मीर की वशिेष स्थति को समाप्त करने की मांग की गई थी,**अनुच्छेद 370 (3) के अनुसार, राष्ट्रपति को** इस तरह के बदलाव के लयि **जम्मू-कश्मीर की संवधिान सभा की अनुशंसा की आवश्यकता होगी।**
  - हालाँकि **वर्ष 2019 के राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद 367 में एक उप-खंड जोड़ा गया** , जो नम्निलखिति पदों को प्रतस्थिापति करता है:
    - "जम्मू-कश्मीर की संवधिान सभा" का आशय "जम्मू-कश्मीर की वधिानसभा" से है।
    - "जम्मू-कश्मीर सरकार" का तात्पर्य "जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल का मंत्रपिरषिद की सहायता एवं सलाह पर कार्य करने" से है।
  - सरकार ने **सांवधिानकि संशोधन लाए बनिा अनुच्छेद 370 के तहत स्वायत्तता को कम करने की मांग** की, जसिके लयि संसद में दो-तहिाई बहुमत की आवश्यकता होती है।
  - इस प्रावधान को **सर्वोच्च न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी गई कि इसने केवल राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से भारतीय संवधिान में अनुच्छेद 35A को जोड़ा।**
  - जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासति प्रदेश में बदलना अनुच्छेद 3 **का उल्लंघन** है **क्योंकि राज्य वधिानसभा द्वारा वधियक को राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा गया** था।
  - राज्य के पुनर्गठन में **राष्ट्रपति के आदेश के लयि राज्य सरकार की सहमति की भी आवश्यकता** होती है। चूँकि जम्मू-कश्मीर वर्तमान में राज्यपाल शासन के अधीन है, इसलयि राज्यपाल की सहमति को सरकार की सहमति माना जाता है।

- **संघवाद का मुद्दा:**
  - वलिय पत्र **दो संप्रभु देशों के बीच संधि** की तरह था, जन्हिोंने एक साथ कार्य करने का नर्िणय लयिा था।
    - **संतोष कुमार बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य एवं अन्य, 2017** में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐतहिासकि कारणों से जम्मू-कश्मीर को वशिष दर्जा प्राप्त था।
      - **एसबीआई बनाम ज़फर उल्लाह नेहरू, 2016** में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जम्मू- कश्मीर की संवधिान सभा की सहमति के बनिा अनुच्छेद 370 को नरिस्त नहीं कयिा जा सकता है।

## अनुच्छेद 370 हटने के पश्चात्  जम्मू-कश्मीर में शांति और सुरक्षा के क्या हालात हैं?

- **पथराव और उग्रवाद की घटनाओं में कमी:**
  - राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) जैसी केंद्रीय एजेंसयिों की बढ़ती सुरक्षा उपस्थति और कार्रवाई के कारण पथराव के मामलों में कमी आई।
  - पथराव की घटनाओं की संख्या वर्ष 2019 के 618 से घटकर वर्ष 2020 में 222 हो गईं।
  - सुरक्षा बलों के घायल होने की घटनाएँ 2019 के 64 से घटकर 2021 में 10 हो गईं।
- **नागरकिों के घायल होने की घटनाओं में कमी:**
  - पेलेट गन और लाठीचार्ज से नागरकि के घायल होने की संख्या 339 (2019) से घटकर 25 (2021) हो गई।
  - जम्मू-कश्मीर में कानून और व्यवस्था में भी सुधार हुआ क्योंकि 2022 में कानून और व्यवस्था की केवल 20 घटनाएँ दर्ज की गईं।
- **उग्रवादयिों और ओवर-ग्राउंड वर्करों की गरिफ्तारयिाँ (OGWs):**
  - आतंकवादी समूहों के OGW की गरिफ्तारयिाँ 2019 के 82 से बढ़कर 2021 में 178 हो गईं।
  - पछिले 10 महीनों की तुलना में अगस्त 2019 से जून 2022 तक आतंकवादी कृत्यों में 32% की गरिावट आई है।

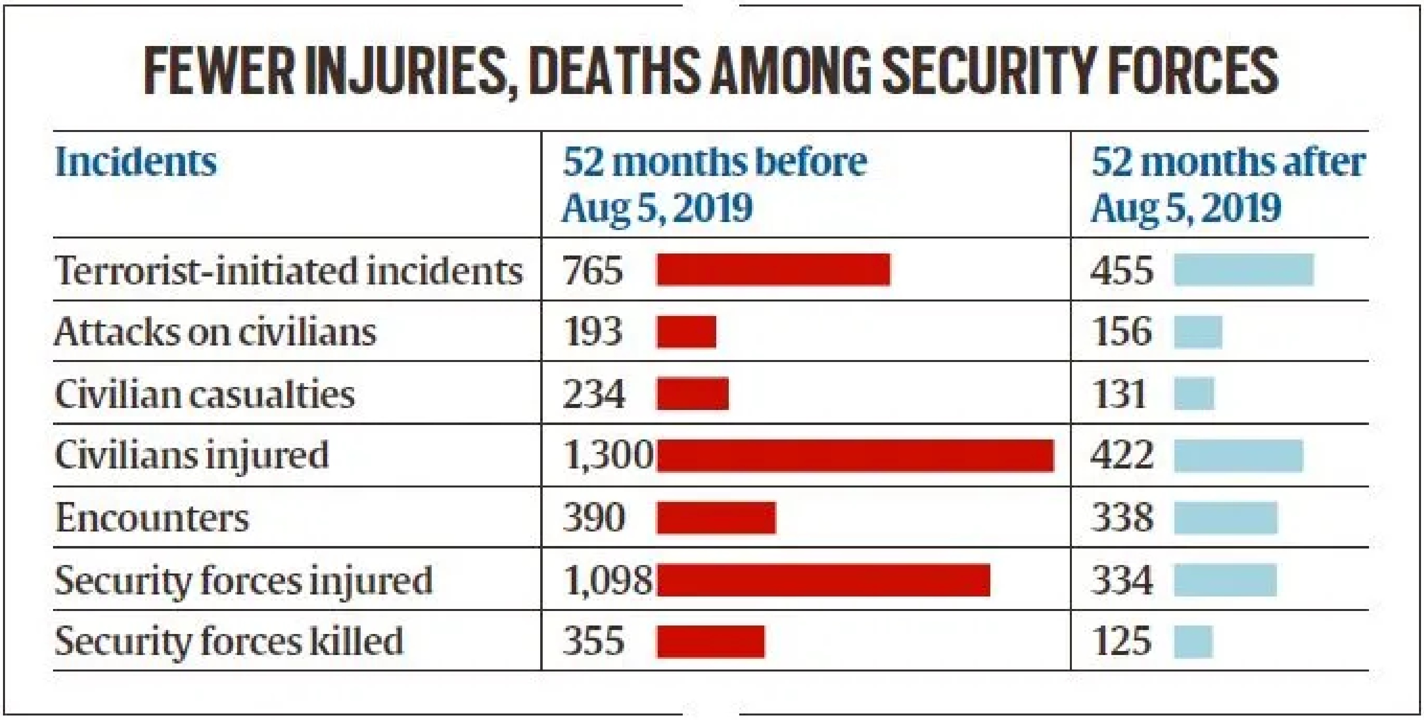

FEWER INJURIES, DEATHS AMONG SECURITY FORCES

| Incidents | 52 months before Aug 5, 2019 | 52 months after Aug 5, 2019 |
|---|---|---|
| Terrorist-initiated incidents | 765 | 455 |
| Attacks on civilians | 193 | 156 |
| Civilian casualties | 234 | 131 |
| Civilians injured | 1,300 | 422 |
| Encounters | 390 | 338 |
| Security forces injured | 1,098 | 334 |
| Security forces killed | 355 | 125 |

## अनुच्छेद 370 के नरिस्तीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कसि प्रकार प्रतक्रियिा दी?

- **पाकसि्तान और मुस्लमि वश्वि/जगत:**
  - पाकसि्तान ने जम्मू-कश्मीर पर भारतीय संवधिान की सर्वोच्चता को मानने से इनकार कर दयिा।
  - इस्लामकि सहयोग संगठन (OIC) ने "क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ववािदति स्थति को बदलने के उद्देश्य से 5 अगस्त, 2019 से उठाए गए सभी अवैध और एकतरफा उपायों" को उलटने के लयि पुनः आह्वान कयिा।
- **चीन:**
  - चीन के अनुसार वह **"भारत द्वारा एकतरफा और अवैध रूप से स्थापति तथाकथति केंद्रशासति प्रदेश लद्दाख"** को मान्यता नहीं देता है तथा **चीन-भारत सीमा का पश्चमिी खंड** हमेशा **चीन का हस्सिा** रहा है।
- **संयुक्त राज्य अमेरकिा:**
  - इसने **जम्मू-कश्मीर में हरिसत और प्रतबिंधों पर चति व्यक्त** की, लेकनि सभी पक्षों से सीमा पार आतंकवाद से नपिटने के लयि **"दृढ़ व मज़बूत कदम उठाने"** सहति नयिंत्रण रेखा पर शांति एवं स्थरिता बनाए रखने का भी आह्वान कयिा।
- **यूरोपीय संघ:**
  - इसने **भारत और पाकसि्तान से पुनः संवाद/वार्ता शुरू** करने का आह्वान कयिा तथा कश्मीर पर द्वपिक्षीय समाधान के लयि समूह के समर्थन को दोहराया।

- **रूस:**
    - रूस ने रेखांकति किया कि **परविर्तन "भारत गणराज्य के संवधिान के ढाँचे के भीतर"** किये गए थे। मॉस्को ने जम्मू-कश्मीर मुद्दे की "द्वपिक्षीय" प्रकृत पिर भी बल दिया और [शमिला समझौते (वर्ष 1972)]() व [लाहौर घोषणा (वर्ष 1999)]() का उल्लेख किया।

## आगे की राह

- कश्मीर के उत्थान के लिये **3E (शकि्षा, रोज़गार और नियोजनीयता)** के लिये **10 साल की रणनीत** लिागू की जानी चाहिये।
- जम्मू-कश्मीर में '**शून्य-आतंकवादी घटना**' की योजना 2020 से लागू है और 2026 तक सफल होगी।
- कश्मीर में वैधता के संकट के समाधान के लिये [अहसिा और शांत कि गांधीवादी मार्ग]() अपनाया जाना चाहिये।
- सरकार **सभी कश्मीरियों तक एक व्यापक आउटरीच कार्यक्रम** शुरू करके अनुच्छेद 370 पर कार्रवाई से उत्पन्न चुनौतियों को कम कर सकती है।
- इस संदर्भ में कश्मीर समाधान के लिये अटल बिहारी वाजपेयी का **कश्मीरयित, इंसानयित और जम्हूरयित (कश्मीर की समावेशी संस्कृति, मानवतावाद एवं लोकतंत्र)** का संस्करण राज्य में सुलह की ताकतों की आधारशिला बनना चाहिये।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**??????????:**

**प्रश्न. सयिाचनि हमिनद कहाँ स्थति है? (2020)**

(a) अक्साई चनि के पूर्व में
(b) लेह के पूर्व में
(c) गलिगटि के उत्तर में
(d) नुब्रा घाटी के उत्तर में

**उत्तर: (d)**

---

**प्रश्न . नमि्नलखिति में से कौन सा सबसे बड़ा (क्षेत्रफल के अनुसार) लोकसभा नर्िवाचन क्षेत्र है? (2008)**

(a) काँगड़ा
(b) लद्दाख
(c) कच्छ
(d) भीलवाड़ा

**उत्तर: (b)**

---

**?????:**

**प्रश्न. भारतीय संवधिान का अनुच्छेद 370, जसिके साथ हाशयिा नोट "जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध" लगा हुआ है, कसि सीमा तक अस्थायी है? भारतीय राज-व्यवस्था के संदर्भ में इस उपबंध की भावी संभावनाओं पर चर्चा कीजिये। (2016)**

**प्रश्न. आंतरकि सुरक्षा और नयिंत्रण रेखा (LoC) सहति म्याँमार, बांग्लादेश और पाकसि्तान सीमा पार अपराधों का वश्लेषण कीजिये। वभिनि्न सुरक्षा बलों द्वारा इस संदर्भ में नभिाई गई भूमकिा की भी ववििचना कीजिये। (2020)**

**प्रश्न. जम्मू-कश्मीर में 'जमात-ए-इस्लामी' पर पाबंदी लगाने सेआतंकवादी संगठनों को सहायता पहुँचाने में भूमि-उपरि कार्यकर्त्ताओं (ओ.जी.डब्ल्यू.) की भूमकिा ध्यान का केंद्र बन गई है । उपप्लव (बगावत) प्रभावति क्षेत्रों में आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुँचाने में भूमि-उपरि कार्यकर्त्ताओं द्वारा नभिाई जा रही भूमकिा का परीक्षण कीजिये। भूमि-उपरि कार्यकर्त्ताओं के प्रभाव को नष्प्रिभावति करने के उपायों की चर्चा कीजिये। (2019)**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sc-verdict-on-revocation-of-article-370